

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AP 087077

3 DEC



Mobile-9835383333

विक्रय मूल्य -रु0 6,90,000/-

मालियत -रु0 6,90,000/-

स्टाम्प -रु0 48,300/-

परगना - मोहनलालगंज

विक्रय विलेख

1. भूमि का प्रकार - कृषि
2. परगना - मोहनलालगंज
3. मोहल्ला / ग्राम - मस्तेमऊ

-----2

Rija Rana

[Signature]




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AP. 087078

(2)

4. सम्पत्ति का विवरण- आराजी खसरा सं०-1118 का मि०,
5. मापन की इकाई-हेक्टेअर
6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल-0.1725 हेक्टेअर
7. सड़क की स्थिति-(परिशिष्ट के अनुसार)
- सुल्तानपुर रोड से 200 मीटर से अधिक दूरी पर
8. अन्य विवरण (9 मीटर रोड/काननर इत्यादि)- नहीं
9. सम्पत्ति का प्रकार :- कृषि भूमि
10. पेड़ों का मूल्यांकन - X
11. बोरिंग/कुआं/अन्य - X
12. निर्माण का वर्ष - X
13. सहकारी आवास समिति के सदस्य से सम्बन्धित है- नहीं
14. प्रतिफल की धनराशि 6,90,000/- रुपये

Rizadun



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AP 061766

(3)

भूमि खसरा संख्या-1118 की चौहद्दी

- पूरब - सरहद मादरमऊ खुर्द
पश्चिम - भूमि खसरा संख्या-1119
उत्तर - भूमि खसरा संख्या-1117
दक्षिण - भूमि खसरा संख्या-1192

प्रथम पक्ष की संख्या (1) द्वितीय पक्ष की संख्या (1)
विक्रेता का विवरण


राजाराम पुत्र श्री जगन्नाथ, निवासी-ग्राम-मिर्जापुर, उप ग्राम-मस्तोमऊ,
परगना ब तहसील-मोहनलालगंज, जिला-लखनऊ, ३०१०।

क्रेता का विवरण


सत्येन्द्र कुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद निवासी-4/2, टाईप-4,
पी०डब्ल्यू०डी० कालोनी, जेल रोड, लखनऊ, ३०१०।

Rajeev Kumar

[Signature]



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



(4)

मनकि राजाराम पुत्र श्री जगन्नाथ, निवासी-
ग्राम-मिर्जापुर, उप ग्राम-मस्तेमऊ, परगना व
तहसील-मोहनलालगंज, जिला-लखनऊ, उ०प्र०, का हैं:-

जो कि विक्रेता भूमिधरी आराजी खसरा संख्या-
1118 कुल रकबा-0.6900 हेक्टेयर का 1/4 भाग 0.1725
हेक्टेयर (अपना सम्पूर्ण भाग) स्थित ग्राम-मस्तेमऊ, परगना
व तहसील-मोहनलालगंज, जिला लखनऊ, का मालिक

Rijoo Kumar


[Signature]

----- 5



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AP 037202



(5)

कामिल व काबिज हैं। उक्त आराजी विक्रेता की पैतृक सम्पत्ति है, जो राजस्व अभिलेखों में विक्रेता के नाम बतौर सहखातेदार संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है।

उक्त भूमि हर प्रकार के विवादों, भारों, अजकिस्म, रेहन, बंधक, इकरार, कुर्की, जमानत, हिबा आदि से पूर्णतया बरी व पाक-साफ है जिसको विक्रय करने का पूर्ण मालिकाना अधिकार


Rijoo Ram

[Signature]

-----6



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



(6)

विक्रेता को प्राप्त है। चूंकि मुझे रुपयों की सख्त आवश्यकता है अतः अपनी राजीखुशी से बिना किसी जोर दबाव नाजायज के बजरुरत होशो हवास में उपरोक्त भूमि नम्बरी व पैमायशी, को बकीमत मु० रुपया- 6,90,000/- (छः लीख नब्बे हजार रुपया मात्र) जिसके आधे रुपया-3,45,000/- (तीन लाख

Riya Kumar

[Signature]

—7



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AP 113488


(7)

पैतालिस हजार रुपया मात्र) होते हैं, में बदस्त क्रेता सत्येन्द्र कुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद निवासी-4/2, टाईप-4, पी0डब्ल्यू0डी0 कालांनी, जेल रोड, लखनऊ, उ0प्र0, के पक्ष में बय फरोख्त कतई किया यानि बेच दिया और कुल जरसमन हस्ब तफसील जैल क्रेता से वसूल पाकर कब्जा दखल मालिकाना अपने ही समान क्रेता उपरोक्त का बखूबी करा

Rije Rur

[Signature]

-----8



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AP 113489

- 8 -

दिया। अब आज की तारीख के बाद से विक्रेता या विक्रेता के किसी वारिसान व कायम मुकामान का कोई हक या हिस्सा व दावा उक्त विक्रीत भूमि या उसके विक्रय मूल्य के संबंध में किसी प्रकार का बाकी नहीं रहा। अगर कोई व्यक्ति विक्रीत भूमि या उसके विक्रय मूल्य के संबंध में क्रेता उपरोक्त से अपना

Rajeev Kumar

-----9



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AP 113490

- 9 -

हक जतावे या दावा करे तो दावा उसका इस बैनामें के समक्ष बिल्कुल नाजायज व शून्य होगा और अगर किसी व्यक्ति की दावेदारी या उज्रदारी या हकदारी से विक्रीत भूमि का कुल या जुज भाग क्रेता उपरोक्त के कब्जे से किसी भी समय निकल जावे या कब्जा न मिले, मिलिकयत या हकीयत विक्रेता की

Rajendra Singh

--- 10



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AA 410368

- 10 -

करार न पाई जाए, या अन्य किसी प्रकार से उपरोक्त भूमि के कागजात विवादित अथवा भार ग्रसित निकले तो ऐसी तमाम सूरतों में क्रेता उपरोक्त को हक व अधिकार होगा कि वह अपने द्वारा दिया गया कुल रूपयाँ मय हर्जा व खर्चा व नुकसान सहित विक्रेता व विक्रेता के वारिसान व कायम मुकामान की अन्य चल

Ajmer Amin

--- 11



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AA 410369

- 11 -

व अचल सम्पत्ति से न्यायालय द्वारा वसूल कर लेवे कोई मुकाम उच्च का न होगा। अब आज की तारीख से क्रेता को अधिकार होगा कि वह उक्त विक्रीत भूमि को समस्त राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लेवे, विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

विक्रीत भूमि ग्राम-मस्तेमऊ, परगना व तहसील-

Rizac Kumar 

— 12



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AA 410370

- 12 -

मोहनलालगंज, जिला-लखनऊ में स्थित है, जो अर्द्धनगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत आती है। विक्रीत भूमि का कुल क्षेत्रफल-0.1725 हेक्टेअर है, जिसकी मालियत श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ द्वारा सरकारी मूल्य रूपया 40,00,000/- प्रति हेक्टेअर की दर से निर्धारित है। विक्रीत भूमि किसी राष्ट्रीय

Signature

Signature

— 13



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

NT 278148


- 13 -

मार्ग, राजकीय मार्ग, जनपदीय मार्ग व लिंक मार्ग पर स्थित नहीं है। अतः निर्धारित दर के अनुसार विक्रीत भूमि की कुल सरकारी मालिखत मुबलिंग रूपया-6,90,000/- होती है, जो कि विक्रय मूल्य के बराबर है। अतः विक्रय मूल्य पर शासकीय शासनादेश संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-5 की अधिसूचना संख्या-स.वि.क.नि.5-2756/11- 2008-500 (165)/2007 दिनांक 30.06.2008 के अनुसार 7 प्रतिशत की दर से रूपया-48,300/- का स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है। क्रेता व विक्रेता के मध्य पूर्व में कोई इकरारनामा बंध पंजीकृत नहीं

Ajaya Kumar

[Signature]

— 14



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AT 278149


-14-

किया गया है। उक्त विक्रीत भूमि पर किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं है। विक्रेता व क्रेता का स्थायी व अस्थायी पता उपरोक्तानुसार है। विक्रीत भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण या उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् की किसी भी योजना में अधिगृहीत नहीं की गई है और न ही प्रस्तावित है।

विक्रीत भूमि मुख्य मार्ग सुल्तानपुर रोड से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रीत भूमि में कोई कुआँ या ट्यूबवेल या इमारत आदि नहीं है तथा 200 मीटर त्रिज्या के

Raja Kumar

--- 15



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AT 278150

- 15 -


अन्दर कोई निर्माण/आवासीय गतिविधियां विध्यमान नहीं है।
विक्रीत भूमि पर कोई पेड़ आदि नहीं लगा है और उक्त भूमि
कृषि भूमि है। विक्रेता व क्रेता दोनों ही अनुसूचित जाति के
सदस्य हैं।

लिहाजा यह बैनामा समक्ष गवाहान खूब सोच समझ कर
बिना किसी जोर दबाव नाजायज के बदरुस्त होशोहवास व
स्वस्थ चित्त मन से निष्पादित कर दिया ताकि सनद रहे और
वक्त जरूरत पर काम आवे तथा क्रेता ने भी अपने हस्ताक्षर
करके बैनामों का निष्पादन किया।

Rajeev Kumar

[Signature]

— 16



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AT 278151

- 16 -

विवरण भूमि बिक्रीशुदा

भूमिधरी आराजी खसरा संख्या- 1118 कुल
रकबा-0.6900 हेक्टेयर का 1/4 भाग 0.1725 हेक्टेयर
(अपना सम्पूर्ण भाग) स्थित ग्राम-मस्तेमऊ, परगना व
तहसील-मोहनलालगंज, जिला लखनऊ।

—17

Arjee Khan



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AT 278152


-17-

तफसील वसूलयाबी जस्समन

कुल विक्रय मूल्य रूपया 6,90,000/- (छः लाख नब्बे हजार रूपया मात्र) विक्रेता ने क्रेता से बजरिये चेक संख्या-000107 दिनांक 28.07.2014 अदाता बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा-हेवेट रोड, लखनऊ के माध्यम से प्राप्त कर लिया है। अब विक्रीत भूमि के सम्बन्ध में विक्रेता को क्रेता से कुछ भी

Rajesh Kumar

-----18



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- 18 -

AU 709333

धनराशि पाना शेष नहीं रहा।

लखनऊ

दिनांक : 28.07.2014

ह0 विक्रेता

1. गवाह : नरेन्द्र कुमार
श.स्त. राम आसि
पता : शैलवापुर कलकत्ता
लखनऊ

Rijendra Kumar

2. गवाह : मुकेश मणि त्रिपाठी
पता : (एड.) सर्वोदय कौटिल्य
लखनऊ

ह0 क्रेता

टाइपकर्ता



Anil
(अनिल बालाजी)
कलेक्टर, लखनऊ।

मसविदाकर्ता

Mukesh Mani Tripathi
(मुकेश मणि त्रिपाठी)
एडवोकेट
कलेक्टर, लखनऊ।

0-200 मीटर की त्रिज्या में मानचित्र

भूमिघरी आराजी खसरा संख्या- 1118 कुल रकबा-0.6900 हेक्टेयर का 1/4 भाग 0.1725 हेक्टेयर (अपना सम्पूर्ण भाग) स्थित ग्राम-मस्तेमऊ, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, जिला लखनऊ।



Rajendra Kumar

हस्ताक्षर विक्रेता

[Signature]

हस्ताक्षर क्रोता

आज दिनांक 30/07/2014 को

पृष्ठ सं. 1 जिल्द सं. 4820

पृष्ठ सं. 301 से 338 पर क्रमांक 12038

संशोधित किया गया

संशोधक/अधीक्षक/क. स. स. स.

अपिता शर्मा पाण्डेय

उ. नि. मोहनलालगंज

लखनऊ

30/7/2014

